

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

आईआरडीएआई(बीमा वेब- संग्राहक) विनियम, 2017

IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

अनुसूची I - फॉर्म ई
(विनियम 9 & 13 देखें)
Schedule I - Form E
(See Regulation 9&13)

पंजीकरण प्रमाणपत्र

Certificate of Registration

पंजीकरण संख्या: आईआरडीएआई / डब्ल्यूबी38/2026
Registration No: IRDAI /WB38/ 2026

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा उस बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन बीमा वेब संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए **इंस्टाबीमा इश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड** को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा लगाई जानेवाली शर्तों और आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक), विनियम 2017 के उपबंधों के अधीन होगा।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र **07th सितंबर 2026** से विधिमान्य होगा और वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा, जब तक यह प्राधिकरण द्वारा नीलंबित या निरस्त नहीं किया जाता है।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration **INSTABIMA INSURANCE WEB AGGREGATOR PVT LTD** to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under the Insurance Act, 1938. The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.

The Certificate of Registration shall be valid from **07/09/2026** and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority.



स्थान / Place : हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक / Date : 07 सितंबर 2026 / 07-09-2026

आदेशानुसार / By Order

**JOSYUL
A ANITA**

Digitally signed by
JOSYULA ANITA
Date: 2026.09.07
16:38:54 +05'30'

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of Insurance Regulatory
and Development Authority of India